न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–231/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/231)

1. भीकमचंद जागृत पुत्र श्री छीतरमल जागृत, उम्र 67 वर्ष, जाति रेगर, निवासी बी–46, हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य, अजमेर। मांगलियावास अवस्थित आराजी खसरा संख्या 675 का 11/12 हिस्सा खातेदार।

अपीलांट

बनाम

1. श्री शंकरलाल आयु लगभग 70 वर्ष, पुत्र श्री बीरम, जाति रेगर, निवासी मांगलियावास हाल मार्फत श्री कालूराम सुनारीवाल बस स्टॉप लामाना जिला अजमेर आराजी खसरा संख्या 675 का 1/12 हिस्सा संयुक्त खातेदार।
2. श्रीमती राधा (मृतक)
3. नन्दलाल
4. कैलाशचंद
5. सायरी
6. शान्ति पत्नि श्री गुलाब
7. अनुराग पुत्र श्री गुलाब
8. अंतिमा पत्नि श्री दिनेश
9. चिन्नू पुत्र श्री दिनेश

(पुत्र पुत्री श्री परमानन्द जाति ब्रह्ममण निवासी मांगलियावास आराजी खसरा नम्बर 664 व 670)

10. धनन्जय पुत्र श्री अजय चौधरी, जाति जाट, निवासी बी–65, अनिता बजाज नगर, जयपुर। खसरा संख्या 671 व 672.
11. परवीन बानो पत्नि श्री बदरूद्दीन जाति कुरेशी, निवासी राजियावास तहसील ब्यावर जिला अजमेर खसरा संख्या 671 व 672.
12. नन्दलाल पुत्र श्री भागीरथ जाति ब्राह्मण, निवासी मांगलियावास जिला अजमेर। आराजी खसरा संख्या 663, 665 व 669.
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार,पीसांगन।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.07.2022 राजस्व वाद संख्या 28/2022

उपस्थितः–

1. श्री, भीकमचंद जागृत, अपीलांट स्वयं.
2. श्री, नवीन कुमार/ प्रदीप यादव, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री, मदनपुरी गोस्वामी ,अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3, 6 से 8.
4. श्री, अमन झंवर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10, 11.
5. रेस्पोडेंट संख्या 4, 5, 9, 12 अनुपस्थित.
6. श्री विकास पाराशर, राजकी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 13.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः— 06.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा प्रकरण संख्या 28/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वैकल्पिक मार्ग दिलाए जाने हेतु परीक्षण न्यायालय में पेश किया, जिसमें बिंदु संख्या 4 में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 से 11 तक की आराजी में से वादी की आराजी खसरा संख्या 675 में आवगमन हेतु कम दुरी का वैकल्पिक मार्ग चाहा था, परंतु उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने अपीलार्थी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जिस आराजी के लिए वैकल्पिक मार्ग चाह है जमाबंदी में संयुक्त खातेदारी की है जिसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है। अतः विभाजन के बिना वैकल्पिक मार्ग दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी ने विभाजन नहीं चाहा है क्योंकि अपीलार्थी का एक हक शफा वाद अन्य न्यायालय में विचाराधीन है जो विभाजन से प्रतिकूल प्रभावित होगा। अपीलार्थी ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में द्वितीय लम्बी दूरी वैकल्पिक मार्ग का भी उल्लेख किया है परंतु इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया। अतः अपीलांट प्रकरण संख्या 28/2022 में पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 26.07.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 4, 5,9,12 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित।

4. अपीलांट ने अभिभाषक नियुक्त नहीं कर स्वयं बहस करने करने का निवेदन किया। अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 675 का विभाजन वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य होना है परंतु वादी विभाजन नहीं चाहता है क्योंकि वादी का एक हक शफा वाद अन्य न्यायालय में विचाराधीन है। खसरा संख्या 675 में आने जाने का कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अभिलेख में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है जबकि जबकि उपखण्ड अधिकारी ने ऐसा मानकर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी ने अपने वाद–पत्र की चरण संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 3 से 9 और 12 के खसरा नम्बरों में से लम्बी दूरी की द्वितीय वैकल्पिक मार्ग देने का अनुतोष चाहा था। प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के खसरा संख्या 664 व 670 तथा प्रतिवादी संख्या 12 के खसरा संख्या 663, 665 एवं 669 है। उपरोक्त पांचो खसरा नम्बरों में से अपीलार्थी को वैकल्पिक मार्ग दिया जाना न्याय संगत है, परंतु उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने इस बारे में अरूचि दिखाते हुए कोई उल्लेख नहीं करके निर्णय में गंभीर त्रुटि कारित की है। परीक्षण न्यायालय का रिकार्ड मंगवाकर न्याय प्रदान करावे। अपील समय सीमा में निहित न्याय शुल्क के साथ प्रस्तुत है। इस मामले में कोई अन्य वाद अपील निगरानी आदि किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अपीलार्थी अपनी आराजी में आने जाने के वैकल्पिक मार्ग हेतु राशि चुकाने को तत्पर है इसलिए अपीलांर्थी को खसरा नम्बर 664, 670, 663, 665, 669 में से वैकल्पिक मार्ग दिलाया जावे। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 28/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 निरस्त किए जाकर अपीलार्थी को खसरा नम्बर 664, 670, 663, 665, 669 में से वैकल्पिक मार्ग दिलाया जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी अंकन नहीं किया गया कि प्रार्थी किन खसरा संख्या से रास्ता चाहा तथा प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग मौजूद है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त योग्य था क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जो कि एक आज्ञापक प्रावधान है। अप्रार्थीगण अभिभाषक ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत करने के तुरंत बाद ही एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 के तहत पेश किया जिनमें लिखित अभिवचन व मूख्य प्रार्थना पत्र में लिखित अभिवचनों में भिन्नता होने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी न्यायालय को गुमराह कर आवेदन प्रस्तुत किया है तथा साथ ही अप्रार्थीगण अभिभाषक ने मौखिक निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं स्पष्ट हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी जिस खसरा संख्या में रास्ता चाहता है वह प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त सहखातेदारी आराजी है जिसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्तनीय था, क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत हीं नहीं किया गया जो कि राजस्थान रेवेन्ये बोर्ड मेन्यूअल पार्ट (2) की धारा 33 के तहत् किसी भी प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना एक आज्ञापक प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । बाद अवलोकन पाया कि अपीलार्थी ने स्वंय की सहखातेदारी की आराजी खसरा नंबर 675 में आवागमन हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 से 11 की आराजी में से रास्ते का अनुतोष चाहा हैं। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम मांगलियावास की जमाबंदी संवत् 2075 के अनुसार खसरा नंबर 675 रकबा 0.6600 है. के खातेदार अपीलांट भीकमचंद पुत्र छीतरमल हिस्सा 11/12 तथा शंकर पुत्र बीरम हिस्सा 1/12 दर्ज होकर सहखातेदार दर्ज हैं। उक्त जमाबंदी के अंकन से स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी खसरा नंबर 675 रकबा 0.6600 है0 के सहखातेदार है जिसका आदिवस तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है। बिना विधिक विभाजन के एक सहखातेदार अविभाजित आराजी बाबत् रास्ते का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता हैं, विभाजन हेतु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के मौखिक रूप से निवेदन किया था वह विभाजन नहीं करवाना चाहता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम को अधीनस्थ न्यायालय ने पोषणीय नहीं माना है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्तरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान

Scanned with CamScanner

काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 28/2022 में पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 26.07.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर.

8. निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर.

Scanned with CamScanner